(उपस्थित) पत्रावली वास्ते ... हेतु दिनांक 14-10-15 को पेश हो।

14-10-15 वकील वादीगण एवं सरकारी वकील (NT) ... उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस तनकियात आइन्दा दिनांक 30-11-2015 को पेश हो।
SDo.

30-11-15 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते A/D तनकियात हेतु दिनांक 20.1.16 को पेश हो।

20-1-16 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते A/D तनकियात हेतु दिनांक 14.3.16 को पेश हो।

14.3.16 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते A/D तनकियात हेतु दिनांक 28.4.16 को पेश हो।

28/4/16 वकुलाय उपस्थित। पत्रावली वास्ते A/D तनकियात हेतु दिनांक 27.5.16 को पेश हो।

11/5/16 पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प मगरतलाब पेश हुई। पक्षकारान को जारी नोटिस तामील अदम तामिल प्राप्त नहीं हुए हैं। पत्रावली वास्ते A/d तनकियात दिनांक 14/7/16 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)
SDO

14/7/16 पत्रावली फोलोअप कैम्प बागोल पेश हुई। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन मनन करने पर पाया कि वादी का पुराना खसरा नं. 391, में 6-05 बीघा आवंटन हुई जिसके नये खसरा 171 होना बताया है और ... विभाजन एवं आपसी ... ... रहे हैं जो ... नहीं है सरकारी ...

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मे अवगत कराया की पुराने ख.नं. 391। के नं. खु
ख.नं. 177 के अलावा अन्य खसरा नम्बर भी के
हो प्रार्थी का प्रार्थना/वादपत्र खारिज फरमावें।
प्रकरण मे तनकीयात कायम की गई जिनकी
बाबत निर्णय निम्नानुसार है।

तनकीह सं. 1 - आया वादीगण के वाद पत्र के पैरा सं.र
में वर्णित अनुसार खातेदारी अधिकार
प्राप्त करने का अधिकारी है?
जिम्मे-वादी

तनकीह सं. 1 मे वादी का पुराने खसरा 391
6-05 बीघा भूमि आवंटन/नियमन हुई। उसके
बाद सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान
ख.नं. 391 के नये ख.नं. 177 बनाये गये परन्तु
रिकार्ड के अनुसार ख.नं. 177 के अलावा
अन्य ख.नं. पर बताये हो उक्त आराजी
विवाद चक दर्ज हुई। यदि प्रार्थी/वादी का
कब्जा होता तो धारा 91 LR Act के
तहत कार्यवाही होती है। प्रार्थी/वादी ऐसा
कोई सबूत पेश करने मे असमर्थ रहा
कि वादी का ख.नं. 177 पर कब्जा कायम
रहा हो।
अतः तनकीह नं. 1 वादी के
विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकीह सं. 2 - आया वादीगण सन् 1975 से
वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर
खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का
अधिकारी है? जिम्मे-वादी

वादी को 1975 मे मौजा कोसर
मे 6-05 बीघा भूमि आवंटन/नियमन हुई
थी परन्तु मौके पर कब्जा कायम नहीं
होने के सिर सेटलमेंट विभाग मे नये
ख.नं. 177 को विवाद चक दर्ज कर
दी थी ख.नं. 177 मे प्रार्थी के नाम
के नाम का आवंटन भी 0.20 हेक्टर हो
गयी जिसके नक्शा नं. 177/2483

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

दर्ज हुए। पूर्णतया अंकित होने पर उक्त
आराजी आवंटन में हुई अतः तनकीह सं. 2
वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकीह 3 – आया वादीगण अतिक्रमी है।
जिम्मे – प्रतिवादी

वादीगण का उक्त आराजी पर
कब्जा काश्त होना तो धारा 91 [illegible]
की कार्यवाही होती है। ऐसा साक्ष्य
सबूत पत्रावली पर नहीं है। वादीगण
का कब्जा काश्त नहीं होने से राज्य
सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय ग्राम
ढाणी खेतर के नाम से ख. नं. 171 में
0.60 हेक्टर आवंटन हुई है। ऐसी में
तनकीह सं. 3 भी प्रतिवादी के पक्ष में
व वादी के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

अतः तनकीह सं. 1 से 3
वादीगण के विरुद्ध निर्णीत होने से
वादी का वाद खारिज किया जाता
है। पत्रावली बाद कार्यवाही फैसला मय
होकर रिकार्ड में जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)